HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5722/2026

Harikrishan Baheti @ Gyanchand S/o Gopalchand, Aged About 42 Years, R/o 51, Tulshi Nagar, Gali No. 7, Shastri Nagar, Jaipur (At Present Accused Petitioner Confined At Central Jail Jaipur, Distt. Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Patni
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

07/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– विद्याधर नगर, जिला– जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 530/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 178, 179, 180 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं और अन्य सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त से 76,100/– रुपये की राशि के नकली नोट बरामद होना दर्शित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 01.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के सचेत आधिपत्य से 76,100/– रुपये की राशि के नकली नोट बरामद हुए हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न गृह निर्माण समितियों के फर्जी आवंटन पत्र, मोहर इत्यादि भी प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए हैं। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त विशाल रावत को इससे पूर्व पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और उससे 5600/– रुपये की राशि के नकली नोट बरामद हुए हैं और उक्त अभियुक्त की सूचना के आधार पर ही प्रार्थी/अभियुक्त से उक्त राशि बरामद हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से 76,100/– रुपये की राशि की कूटरचित भारतीय मुद्रा बरामद होने के गंभीर आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में अन्य दो प्रकरण में भी संबद्ध रह चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद पुत्र गोपालचंद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 45